प्र०सं० 147/2022 गणेशाराम / कुरड़ाराम

24/25

पक्षकार करिबेन न्यायालय निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में सम्बन्धित मुकदमा का सहमति से निस्तारण (PD) हो चुका है मुकदमा का निर्णय होने के कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.07 10:36:26 IST
Reason: SelfAttested